न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 19/2020

वादीगण बनाम	प्रतिवादी
1. बलवन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह पुत्र सोहन सिंह जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर	1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर 2. जसवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर 3. जोगेन्द्र कौर पत्नि हरबंस सिंह जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर 4. साहब सिंह पुत्र हरबंस सिंह जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर 5. गुरप्रीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर 6. गुरमीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर 7. सर्वजीत कौर पुत्री हरबंस सिंह जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर 8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

दिनांक रजू:-18.02.2020

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह अधिवक्ता वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

--निर्णय-- दिनांक : 23/02/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 20 की 2.040 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 25 की 3.036 हैक्टर मय बाग, मुरब्बा नम्बर 31 की 3.113 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 40 की 3.162 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 67/12 की 0.126 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, मुरब्बा नम्बर 67/23 की 0.126 हैक्टर गैरमुमकिन खाला इस प्रकार कुल 11.460 हैक्टर नहरी मय बाग मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से 2.865 हैक्टर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि जरिए बटवारानामा दर्ज हुई है। वादी का वास्तविक नाम बलवन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह पुत्र सोहन सिंह जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर है। वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में वास्तविक नाम बलवन्त सिंह पुत्र सोहन सिंह अंकित है। विधानसभा क्षेत्र श्रीकरणपुर नामावली में भी नाम बलवन्त सिंह दर्ज है। उक्त रकबा का

23/02/2021

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.03.02 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी में वादी का नाम बन्ता सिंह पुत्र सोहन सिंह दर्ज है। अन्य तमाम दस्तावेज में बलवन्त सिंह दर्ज होने के कारण वादी को हर समय भारी परेशानी का सामना करना पडता है। संबधित विभाग में अपने दो नाम होने के संबध में एंव अपनी पहचान बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है। इस कारण वादी उक्त जमाबन्दी में अपना नाम बलवन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह घोषित करवाना चाहता है। वादी ने इस सम्बन्ध में राजस्व कैम्प 14 एफ एफ में लिखित वादपत्र प्रस्तुत कर जमाबंदी में नाम संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। जिस पर उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्णित भूमि कृषि भूमि चक 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर में स्थित होने के कारण उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। वादपत्र पूर्ण न्यायालय शुल्क पर समयावधि के भीतर प्रस्तुत है। वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 20, 25, 31, 40, 67/12, 67/23 की कुल 11.460 हैक्टर नहरी मय बाग मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से 2.865 हैक्टर रकबा में वादी का नाम बन्ता सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर घोषित किए जाने के आदेश दिये जावे।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 तामील बावजूद उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। पैराकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया किया गया। सामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर से पंत्राक 13036 दिनांक 22.01.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28 में बन्ता सिंह पुत्र सोहन सिंह 2.865 हैक्टर जाति जटसिख के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई। मुताबिक फर्दमौका बन्ता सिंह व बलवन्त सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम बताये गये। सरपंच ग्राम पंचायत 14 एफ एफ के प्रमाण पत्र के अनुसार बलवन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया। सामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र वादी, सरपच ग्राम पंचायत 14 एफ एफ प्रमाण पत्र, जवाब स्टेट पैराकार राज एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया द्वारा चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28 में 2.865 हैक्टर नहरी भूमि में अपना नाम बन्ता सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार पटवारी हल्का के द्वारा इस सम्बन्ध में फर्द मौका तैयार किया गया। मुताबिक फर्दमौका बलवन्त सिंह व बन्ता सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम बताये गये। प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पचायत 14 एफ एफ के अनुसार बलवन्त सिंह व बन्ता सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा [illegible] कार्ड संख्या, आधार कार्ड, पहचान पत्र, [illegible] कार्ड में बलवन्त सिंह अंकित है। [illegible] खाता की जमाबन्दी में वादी का नाम बन्ता सिंह [illegible] है। अतः वादी का नाम बन्ता सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Ve
Digitally signed by La
Date: 2021.03.02 11:
Reason: SelfAttested

23/02/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सत्यमेव जयते श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

बलवन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह बनाम जोगेन्द्र सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा, 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट, प्रकरण संख्या 19 /2020

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्थान भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28 में 2.865 हैक्टर नहरी मय बाग मय गैरमुमकिन खाला भूमि में बन्ता सिंह पुत्र सोहन सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह पुत्र सोहन सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आदेश का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली नियत दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

23/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन, उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 23/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

23/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.03.02 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री लाखाराम आर.ए.एस.

बलवन्त सिंह बनाम जोगेन्द्र सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 19/2020

निर्णय दिनांक :- 23.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी संम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28 में 2.865 हैक्टर नहरी मय बाग मय गैरमुमकिन खाला भूमि में बन्ता सिंह पुत्र सोहन सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह उर्फ बन्ता सिंह पुत्र सोहन सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है।

आज दिनांक 23.02.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

23/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

23/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 23/2/21

क्रमांक: राजस्व/ 2021/93
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

23/02/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.03.02 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested